117

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

/2017 पुनर्विलोकन

III/पुनर्विलोकन/रीवा/भू.रा./2017/4906

श्रीमती मनोरमा देवी मिश्रा पत्नी स्व. रामबाबू मिश्रा, निवासी– कटनी हाल मुकाम उपरहटी रीवा जिला– रीवा म.प्र. ——— **आवेदिका**

बनाम

1– शासन म.प्र. द्वारा जिलाध्यक्ष जिला– रीवा म.प्र.

2– श्रीमान कार्यपालन यंत्री , म. प्र. गृहनिर्माण मण्डल एवं अधोसंरचना विभाग रीवा संभाग रीवा जिला– रीवा म.प्र. ——— **अनावेदकगण**

पुनर्विलोकन श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 2602 / 17, आदेश दिनांक 15-11-17

आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू– रा. सं. सन 1959 ई.

मान्यवर,

प्रार्थना पत्र के आधार निम्न हैः–

1– यह कि मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-11-17 में मूल तथ्यों का एवं कानूनी बिन्दुओं का अवलोकन नहीं किया गया है तथा उसमें पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है।

2– यह कि मान्नीय न्यायालय द्वारा आवेदक की निगरानी पर उल्लिखित तथ्य एवं विधि संबंधी अंतरबिन्दुओं पर विचार किये बिना एवं उनकी अनदेखी किये हुये आदेश दिनांक 15-11-17 पारित कर निगरानी निरस्त करने में त्रुटि की है।

3– यह कि आवेदिका आ. खसरा नंबरी पुराना 111, 112,113 जिनके नये नंबर कमशः 115, 116, 117, को पूर्व भूमिस्वामी श्रीमती बृजवाला रानी व्यास पत्नी स्व. श्री नरेशचन्द्र व्यास से वर्ष 1970 में कय किये

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/रिव्यु/रीवा/भूरा/2017/4906

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-1-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के ग्राह्यता प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/रीवा/रीवा/भूरा/2017/2602 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण कमांक दो/रिव्यु/रीवा/भूरा/2017/4906के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/रीवा/भूरा/2017/2602 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 15.11.17 से किया जा चुका है।	

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य